न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी - मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/112

भूरा पुत्र सरवन जाति मीणा निवासी ग्राम आजन्दा तहसील केशोराय पाटन जिला बून्दी राज.।

––अपीलान्ट

बनाम

1. कान्ही बाई पत्नि चौथमल पुत्री गोपाल जाति मीणा
2. बबलू पुत्र चौथमल पुत्री गोपाल जाति मीणा
3. सोनू पुत्र चौथमल पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम आजन्दा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी राज.।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार केशोरायपाटन जिला बून्दी राज.।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 09.10.2024

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिली बून्दी के प्रकरण संख्या 166/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता सं० 142 पुराना खाता नं० 143 की ख०सं० 802 रकबा 0.88 हे०, पुराने ख०सं० 322 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा ग्राम आजन्दा तह० के० पाटन जिला बून्दी (राज०) में स्थित है जो अभिलेख में वादी के नाम अंकित है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 वाद पत्र के साथ संलग्न है। वाद–पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित कुल कृषि भूमियां वादी की पैतृक सम्पत्तियां है जिसमें वादी अपने पिताजी के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है। ऊपर वर्णित कृषि भूमि के उत्तरी दिशा में सरकारी धोरा स्थित है जिसमें वादी अपने खेत को पानी पिलाता चला आ रहा है। उस धोरे से दूसरी तरफ उत्तर की और प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 का खेत पड़ता है जो वादी से अनावश्यक रंजिश रखता है। वादी को परेशान करता रहता है। इसी आशय की

पूर्ति हेतु प्रतिवादी सं० 1 लगा० 3 ने प्रतिवादी सं० 4 के प्रतिनिधियों सरकारी कर्मचारियों से मिलिभगत करके वक्त सेटलमेन्ट वादी के खाते के खेत का नक्शा छोटा करवा लिया जबकि ऐसा करने का उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 वादी की जमीन को जबरन ताकत के बल पर हड़पना चाहते है। इस आशय की पूर्ति हेतु प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 ने वादग्रस्त के खेत के उत्तरी मेड़ पर बने हुये धोरे की दोनों दीवारों को तोड़कर खेत में घुसने की कोशिश कर रहा है। इस हेतु वादी ने प्रतिवादी सं० 1 लगा० 3 को काफी समझायश करी पुलिस थाना कापरेन में भी आशय की शिकायत करी पुलिस अधीक्षक बून्दी को भी लिखित में शिकायत की अंतिम बार वादी 15.5.2009 को वादी के कहने पर भी प्रतिवादी ने साफ मना कर दिया। यहीं वाद कारण है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करावे कि वादी के खाते कब्जे की भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर, मेड़ो को नहीं तोडे किसी भी प्रकार से वादी की काश्त व्यवस्थान में व्यवधान न तो स्वयं पैदा करे न ही अपने प्रतिनिधियों से ऐसा कार्य करावें। वाद–पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित कृषि भूमि के नक्शे को खाते व मौके के अनुसार दुरूस्त किया जावे और दौराने वाद प्रतिवादी सं० 1 लगा० 3 द्वारा यदि धोरे व मेड को क्षतिग्रस्त कर दिया जावे तो वापस दुरूस्त किया जावे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगणों के खिलाफ इस आशय की डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी के खाते कब्जे काश्त का खेत ख० सं० 802 रकबा 0.88 हे० वाके ग्राम आजन्दा तह० के०पाटन पर वादी सं० 1 लगायत 3 किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें न वादी के खेत, धोरे व मेड आदि को मिटायें दौराने वाद की गई क्षति मेड़, धोरे आदि की पूर्ति की जावे। प्रतिवादी सं० 4 को जर्य आदेशात्मक आज्ञा से पाबन्द किया जावे। वाद–पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित भूमि सेटलमेन्ट में हुई गलती को दुरूस्त किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान उचित समझे दिलायी जाये।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2015 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का आदेश पारित किया कि वह वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 802 रकबा 0.88 हैक्टेयर वाके ग्राम आजन्दा तहसील के०पाटन में किसी प्रकार का कब्जा नहीं करें एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल नहीं करें। तदनुसार डिकी जारी की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 22.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 22.07.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 22.07.2015 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौरोन बहस रेस्पोडेन्ट अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट 74 वर्ष का वृद्ध एवं ग्रामीण व्यक्ति है, जिसकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त थे, जिन्होने अपीलांट को हर तारीख पेशी पर हाजिर होने से मना कर दिया था और बताया था कि आवश्यकता होने पर सूचित कर देंगे, किन्तु तदुपरान्त वकील साहब की ओर से कभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, और इसलिए निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 की अपीलांट को कभी जानकारी नहीं हुई तथा अभी दिनांक 07.06.2024 को अपीलांट ने दावे के बाबत वकील साहब से मिलकर जानकारी चाही, तो उनके द्वारा दिनांक 22.07.2015 को निर्णय व डिक्री होने की जानकारी दी गई, जिस पर उसी दिन निर्णय व डिक्री व वांछित दस्तावेजात की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र अदालत मातहत में पेश किया गया और दिनांक 10.06.2024 को निर्णय व डिक्री की प्राप्ति होते ही अविलम्ब अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है जो जानकारी की तिथी 07.06.2024 से अवधि मध्य स्वीकार योग्य है। तथा निर्णय व डिक्री की तिथी 22.07.2015 से जानकारी की तिथी 07.06.2024 तक की डिले उपरोक्त कारण से कण्डोन होने योग्य है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय विधी न्याय एंव तथ्यो के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया गया कि उसके खाते की आराजी गत खसरा नम्बर 322 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम आजन्दा तहसील के0पाटन जिला बून्दी में स्थित है, जिसके सेटलमेंट बाद नया नम्बर 802 रकबा 0.88 हैक्टेयर कायम कर खात संख्या 142 में दर्ज किया गया है। उक्त भूमि के उत्तर दिशा में सरकारी धोरा स्थित है जिससे अपीलांट

अपने खेत में पानी की सिंचाई करता आ रहा है, और धोरे के दूसरी तरफ प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का खेत है जो अपीलांट वादी से रंजिश रखते है और अपीलांट वादी के कब्जे में दखलंदाजी करते है तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से मिलकर उत्तर दिशा में स्थित धोरे को तोड़फोड़ व क्षतिग्रस्त कर दिया और धोरे को तोड़कर वादी के खेत में घुसकर कब्जा करने की चेष्टा करते है जिन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से वादी अपीलांट पाबन्द करवाने का अधिकारी है। साथ ही राजस्व कर्मचारियों से मिलकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जो नक्शा ट्रेस बनाया गया है, उसमें धोरे को गलत जगह पर दर्शाकर नक्शा ट्रेस भी गलत बनवा दिया है जिसे भी वादी अपीलांट दुरूस्त करवाकर गत नक्शे के अनुसार नये नक्शे को दुरूस्त कराने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2015 के निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को खसरा नम्बर 802 रकबा 0.88 हैक्टेयर में अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने व कब्जा नहीं करने हेतु पाबन्द फरमा दिया है, किन्तु जो नक्शा ट्रेस गलत बनाया गया है, उसकी दुरूस्ती के सम्बंध में कोई निर्णय ही पारित नहीं किया गया है जबकि अपीलांट गत नक्शा ट्रेस अनुसार नया नक्शा जो सेटलमेंट के बाद बनाया गया है उसे पूर्ववत दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने साक्ष्य व दस्तावेजात से सेटलमेंट बाद का नया नक्शा ट्रेस गलत बताया जाना पूर्ण रूप से साबित कर दिया गया था और यह भी निवेदन किया गया था कि गलत नक्शा ट्रेस की आड में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 पुनः वादी अपीलांट के खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसके कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द तो कर दिया किन्तु नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किये जाने के सम्बधं में किसी प्रकार का कोई निर्णय ही पारित नहीं किया गया है जो कि पारित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा गत नक्शा अनुसार नया नक्शा कायम किए जाने का अनुतोष अपने वादपत्र में चाहा गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शा ट्रेस के बारे में कोई निर्णय पारित नहीं किया जबकि अपीलांट वादी का वाद पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा के साथ नक्शा ट्रेस को भी गत नक्शे अनुसार दुरूस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित किया जाना आवश्यक था परन्तु ऐसा नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2015 नक्शा ट्रेस में चाही गई दुरूस्ती हेतु आंशिक रूप से निरस्त फरमाते हुए अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा के साथ ही नक्शा ट्रेस में चाही गई दुरूस्ती हेतु सम्पूर्ण रूप से डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनयम पर की गई बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में स्वयं के खाते की भूमि के सम्बंध में प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट वादी का अपने वादपत्र में कथन रहा है कि प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से मिलीभगत करके वक्त सेटलमेंट वादी के खाते के खेत का नक्शा छोटा करवा लिया जबकि ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादी अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में सेटलमेंट द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त किए जाने हेतु प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को जर्ये आदेशात्मक आज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष अपने वादपत्र में अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वादी के खाते की प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अंकित किया गया है परन्तु वादग्रस्त भूमि के विवादित नक्शें के सम्बंध में कोई निष्कर्ष अपने निर्णय में अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के नक्शे के सम्बंध में महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को अनिर्णित रखते हुए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 पारित की गई है। हमारे मत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में विवादित नक्शें को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में समुचित विवाद्यक बिन्दु कायम किए जाकर, उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो प्रकरण में जवाबदावा लिया गया और ना ही विवाद्यक बिन्दु कायम किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश

20 नियम 5 की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 22.07.2015 कायम किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः हमारे मत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 166/2011 में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा लेकर उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर समुचित तनकीयात कायम करें तथा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तनकीवार नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.11.2024 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

9/10/24

(मुरलीधर प्रतिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा